



छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
व्यावसायिक परिसर,
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल कॉलोनी,
कबीर नगर, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 2364 / पी.आर. / छ.ग.प.सं.मं. / 2015
प्रति,

रायपुर, दिनांक 26/8/2015

श्री सुजीत.आर.कर
जिलाध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी
दरोगापारा, रायगढ़ (छ.ग.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत
अपील

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक 47/2015 दिनांक 27/07/2015

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुक्रम में लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत अपील के अन्तर्गत अपील हेतु सशुल्क आवेदन किया जाना है। अतः अपील हेतु निर्धारित शुल्क 50/- रुपये (पचास रुपये मात्र) नियमानुसार मंडल मुख्यालय में जमा करावें। जिससे आपके अपील प्रकरण पर कार्यवाही की जा सकें। आपके द्वारा शुल्क जमा किये जाने के उपरांत ही आवेदन पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा। एवं समय की गणना प्रारम्भ हो सकेगी।

o/c

अपीलीय अधिकारी एवं सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल,
रायपुर (छ.ग.)